न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 194/2025 (GCMS C.N. 2025/728)

विविध प्रार्थना पत्र

	उनवान
1. राजकुमार पुत्र दिल जरिए बनाम पावर आफ अटॉर्नी होल्डर– अमित कुमार भट्ट	1. सरकार जरिए विनोद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, भीलवाड़ा 2. जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा
–प्रार्थी	–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् सिविल आदेश अवमानना

प्रार्थना पत्र under section 12 Contempt of Courts Act 1971

उपस्थित –

1. सरिता स्वर्णकार – प्रार्थी की ओर से
2. राजकीय पेरोकार, विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 17/03/2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अंतर्गत सिविल आदेश अवमानना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण में राजकुमार पुत्र दिलीप कुमार निवासी सिंगढोला बारा बाठोट लक्ष्मणगढ जिला सीकर–राज. जरिए पॉवर आफ अर्टोर्नी हॉलडर–अमित कुमार भट्ट पुत्र भगवती लाल भट्टा निवासी बडे मंदिर के पास, तहसील माण्डल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रकरण संख्या 26/2025 में अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित पक्षकार है।

विपक्षी संख्या–1 श्री विनोद जी मीणा, प्रवर्तन निदेशक महोदय, द्वारा गाड़ी क्रमांक RJ-23-GD-2140 मय 1739.24 लीटर डिजल, मिलावटी तरल पदार्थ तेल मानकर जप्त किया जाकर श्री विजय सिंह, हैड कान्स्टेबल, बेल्ट नं. 966 थाना–बिजौलिया को सम्भलाया गया और विपक्षी की ओर से न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाड़ा के यहां प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को दिनांक 19/05/2025 को पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही चालू की, जिसके प्रकरण संख्या–26/2025 प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम है। विपक्षी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में प्रकरण संख्या–26/2025 पर न्यायालय श्रीमान् ने दोनो पक्षकारों की बहस सुनी गयी। न्यायालय श्रीमान् द्वारा बहस पर मनन किया गया और पत्रावली एवं समस्त दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें न्यायालय श्रीमान् ने पाया कि विपक्षी प्रवर्तन निदेशक अधिकारी की ओर से उक्त जप्तशुदा तरल पदार्थ का मिलावटी होना या नहीं होने के सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किये गये, जबकि प्रार्थी फर्म श्री बालाजी फ्युल एनर्जी के पार्टनर श्री ओमप्रकाश एवं श्री राजकुमार द्वारा उक्त तरल पदार्थ का वैध बिल एवं परिवहन किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण संख्या–26/2025 में प्रार्थी/विपक्षी वाहन मालिक द्वारा गाड़ी क्रमांक RJ-23-GD-2140 को मय माल वाहन मालिक को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थनापत्र पेश किये तथा मुख्तियारनामा आम अमित कुमार भट्ट की सुपुर्दगी में दिलाये जाने हेतु वाहन मालिक मुख्तियारनामा पेश किया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या–26/2025 अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में निर्णय दिनांक 11/07/2025 को आदेश पारित किया गया, जिसमें श्रीमान् जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा को निर्देशित किया गया कि उक्त जप्तशुदा वाहन गाड़ी क्रमांक RJ–23–GD–2140 मय तरल

17.3.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पदार्थ 1739.24 लीटर वाहन मालिक मुख्तियारनामा आम अमित कुमार भट्ट को सुपुर्द करवाकर पालना रिपोर्ट 05 दिवस में प्रस्तुत करें। विपक्षी द्वारा प्रकरण संख्या–26/2025 के आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन (Review) प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसके प्रकरण संख्या–35/2025 Review प्रार्थनापत्र है। उक्त प्रकरण में विपक्षी द्वारा पूर्व के निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताया जाकर पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र में नये तथ्य प्रस्तुत कर निर्णय को परिवर्तित करना चाहता है, जो पोषणीय नहीं है, जिस कारण न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, द्वारा निर्णय कर पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र को दिनांक 21/08/2025 को निरस्त किया गया। आदेश की विधिवत् जानकारी विपक्षी संख्या–2 जिला रसद अधिकारी, को प्राप्त हो चुकी है। इसके बावजूद विपक्षी द्वारा आज दिन तक न तो उपरोक्त तरल पदार्थ वाहन सहित सुपुर्द किया है एवं न ही माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाडा के आदेश के अनुसार कोई पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। विपक्षी द्वारा किया गया यह कृत्य जानबूझकर, उद्देश्यपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण रूप से न्यायिक आदेश की अवमानना है, जो willful disobedience की श्रेणी में आता है। विपक्षी का यह आचरण न्यायिक प्राधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाड़ा के आदेश निष्प्रभावी बनाता है तथा Contempt of Court 1971 की धारा 12 के तहत दण्डनीय है। आदेश की अवहेलना के कारण प्रार्थी को गम्भीर आर्थिक हानि मानसिक प्रताड़ना एवं विधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रार्थी के पास वर्तमान अवमानना प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभावी एवं शीघ्र वैकल्पिक उपाय उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी लगातार विपक्षी संख्या–2 जिला रसद अधिकारी, भीलवाडा के कार्यालय के चक्कर लगा रहा है एवं अन्तिम बार दिनांक 10/11/2025 को एक लिखित प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत की, लेकिन प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उक्त वाहन की पुलिस को अब तफ्तीश में कोई आवश्यकता नहीं रही है और उक्त वाहन खुले में पड़ा–पडा खराब हो रहा है तथा प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है।

निवेदन है कि विपक्षी संख्या–2 जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा को न्यायालय की अवमानना का दोषी घोषित किया जाने का आदेश फरमायें एवं विपक्षी के विरूद्ध Contempt of Court 1971 की धारा 12 के तहत उचित दण्डादेश पारित किया जावे। विपक्षी को निर्देशित किया जावे कि श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या–26/2025 के निर्णय दिनांक 11/07/2025 के आदेश की तत्काल रूप से पालना करें। न्यायालय न्यायहित में अन्य उपयुक्त आदेश पारित करें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किए। पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण में डीएसओ का जवाब पत्र रिकॉर्ड पर लिया गया।

दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। प्रकरण में विपक्षी–1 ने जवाब जरिए पत्र क्रमांक/रसद/2025/13 दिनांक 06.01.2026 से प्रस्तुत किया। उक्त पत्रानुसार अवगत कराया गया कि सैम्पल वास्ते जांच एफ0एस0एल लेब उदयपुर भेजा गया। लेब की जांच रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो पाएगा की जब्तशुदा तरल पदार्थ मिलावटी है या नही। लेब रिपोर्ट अभी तक डीएसओ कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त टीटी चालक व अन्य द्वारा अनुज्ञापत्र, पंजीयन पत्र, डिस्पेंसिंग यूनिट का कैलिब्रेशन प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए। प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों के अंतर्गत वाहन रिलिज करने/नहीं करने का निर्णय मूल प्रकरण के निस्तारण पर ही किया जा सकता है। आरोप सिद्ध होने पर जब्तशुदा वाहन का विक्रय स्थायी रूप से बाजार मूल्य तक किया जाकर, राजसात किया जाकर , वाहन स्वामी को ही लौटाने के प्रावधान एवं राजकोष में ही जमा कराने का प्रावधान है। बैंक गारंटी, जमानतनामे का प्रावधान नहीं है।

प्रकरण में विपक्षी–1 ने बताया कि जिला कलक्टर महोदय से अनुमोदन उपरान्त जरिए पी0पी0 ,न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय,भीलवाडा के पूर्व पारित निर्णय के विरूद्ध अपील दर्ज करा रखी है जिसके प्रकरण संख्या 78/2026 होकर तारीख पेशी 14.05.2026 नियत है। अतः इस स्तर पर यह प्रकरण आप श्रीमान न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं है। अतः कृपया यह प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमावें।

प्रकरण में दस्तावेज अवलोकन व बहस पर मनन पश्चात् यह पाया गया कि जिला रसद अधिकारी जरिए राजकीय अभिभाषक भीलवाड़ा ने श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा की अनुमति दिनांक 03.10.2025 के

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

17.3.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अनुक्रम में डीएसओ के पत्र क्रमांक/रसद/2026/367 दिनांक 17.03.2026 से अपील संख्या 78/2026 माननीय सेशन न्यायालय भीलवाडा में दर्ज कराई गई है। अतः अपीलाण्ट की प्रार्थना पत्र इस स्तर पर पोषणीय नहीं ठहरता है। अतएव–

आदेश

विपक्षी जिला रसद अधिकारी भीलवाडा ने जरिए लोक अभियोजक, प्रश्नगत प्रकरण में एक अपील माननीय सेशन न्यायालय भीलवाडा में उनके पत्र क्रमांक 367/17.03.2026 अनुसार दर्ज करवा दी गई है, जिसके प्रकरण संख्या 78/2026 होकर आगामी तारीख पेशी 14.05.2026 नियत है। अतः प्रश्नगत प्रकरण के प्रार्थना पत्र के विरूद्ध उच्चतर न्यायालय में विपक्षीगण की अपील जैरकार होने से वर्तमान में उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी अपना पक्ष माननीय सेशन न्यायालय में रखने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी,भीलवाडा को प्रेषित की जाए।

निर्णय आज दिनांक 17/03/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.3.26
(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा